बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
(राज्य स्तरीय कार्यालय)
शिक्षा भवन, सैदपुर, राजेन्द्र नगर
पटना ८००००४

Bihar Education Project Council
(State Level Office)
Shiksha Bhawan, Saidpur, Rajendra Nagar
Patna-800004

पत्रांक : KGBV/75/2008-09/ 598 दिनांक 21 / 01 / 2019

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी
बिहार शिक्षा परियोजना,
सभी जिले।

विषय : **कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में कार्यरत कर्मियों के वेतनवृद्धि एवं EPF कटौती के संबंध में।**

महाशय,

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् की राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक–02.01.2019 को आहूत 82वीं बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में राज्य के सभी टाईप के कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में विहित प्रक्रिया से नियोजित तथा दैनिकगामी कार्मिको के वेतन में की गयी वृद्धि निम्नवत् है –

1 के•जी•बी•भी• टाईप–I (कक्षा VI से VIII) एवं टाईप–III (कक्षा VI से XII)

क्र• स•	पदनाम	वर्तमान वेतन प्रति माह (रू• में)	संशोधित वेतन प्रति माह (रू• में)
1	वार्डेन–सह–शिक्षिका	7200 + 500(विशेष भत्ता) = 7700/-	15,000/-
2	अंशकालिक शिक्षिका (पूर्व पदनाम "पूर्णकालिक शिक्षिका")	7000/-	13,000/-
3	लेखापाल	5800/-	8,500/-
4	अनुसेवक	3500/-	6,500/-
5	रात्रि प्रहरी / चौकीदार	3500/-	6,500/-
6	मुख्य रसोईया	3500/-	6,500/-
7	सहायक रसोईया	2900/-	6,000/-

2 के•जी•बी•भी• टाईप–IV (कक्षा IX से XII)

क्र• सं•	पदनाम	वर्तमान वेतन प्रति माह (रू• में)	संशोधित वेतन प्रति माह (रू• में)	अभ्युक्ति
1	वार्डेन*	5000/-	5000/-	बजट में प्रावधानित अधिकतम सीमा
2	रात्रि प्रहरी / चौकीदार	3000/-	5000/-	
3	मुख्य रसोईया	3000/-	5000/-	
4	सहायक रसोईया	2500/-	4500/-	

नोट :– *सम्प्रति उच्च / मध्य विद्यालय की प्रतिनियोजित शिक्षिका

☎ 0612-2667168 fax 0612-2667190 Email ssabihar@gmail.com Website www.bepcssa.in

शिक्षा परियोजना परिषद्
(राज्य स्तरीय कार्यालय)
शिक्षा भवन, सैदपुर, राजेन्द्र नगर
पटना–८००००४

Bihar Education Project Council
(State Level Office)
Shiksha Bhawan, Saidpur, Rajendra Nagar
Patna-800004

3. विहित प्रक्रिया से नियोजन होने तक वैकल्पिक तौर पर कार्य कर रहे दैनिकभोगी अनुसेवक, रात्रि प्रहरी/चौकीदार एवं रसोईया की दैनिक मजदूरी रू॰ 80/–प्रति दिन से बढ़ाकर रू॰ 150/– प्रतिदिन की गयी है।
4. के॰जी॰बी॰भी॰ टाईप–I एवं के॰जी॰बी॰भी॰ टाईप–III में विहित प्रक्रिया से नियोजित कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की सुविधा दिनांक–01.04.2019 से देय होगी। इसके क्रियान्वयन संबंधी आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।
5. वेतन वृद्धि की उपरोक्त सुविधा के॰जी॰बी॰भी॰ के वैसे सभी कर्मियों को भी दी जाएगी, जो वर्ष 2014 में वेतनवृद्धि हेतु आयोजित दक्षता परीक्षा में भाग नहीं ले पाये या सफल नहीं हो पाये थे।
6. वर्त्तमान में कार्यरत कर्मियों को उपरोक्त वेतन वृद्धि पहली अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगी।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
(संजय सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक KGBV/75/2008-09/598 दिनांक: 21/01/2019

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी समिति, बिहार शिक्षा परियोजना को सूचनार्थ प्रेषित।

21/1/19
राज्य परियोजना निदेशक